

न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

मु.न.	दायर दिनांक	अ. धा.	निर्णय दिनांक
16/2017	28.08.2017	91 एल.आर.एक्ट	18.09.2017

सरकार बनाम सरदारा, सोनाराम, रणजीत पिता भूराराम जाति गुर्जर निवासी धनावता

18.09.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का इन्द्रपुरा ने सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम धनावता की भूमि ख0न0 167 रकबा 1 है0 किस्म गै0मु0 नाला में से रकबा 0.10 है0 खसरा नं0 197 रकबा 2.66 है0 किस्म गै0मु0 नाला में से 0.20 है0 पर सरदारा, सोनाराम, रणजीत पिता भूराराम जाति गुर्जर निवासी धनावता ने अवैध अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का इन्द्रपुरा के आधार पर प्रकरण रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अतिक्रमीगण को जरिये सम्मन नोटिस अ0 धा0 91 एल.आर.एक्ट के तहत तलबी सम्मन नोटिस जारी की गये।

रिपोर्ट पटवारी हल्का इन्द्रपुरा एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबूत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतिक्रमीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध हैचूंकी भूमि किस्म गै0मु0 नाला हैं, अवैध एवं नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण अतिक्रमीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार लगातार कब्जा साबित नहीं होने के कारण नियमन की तारीफ में नहीं आता है। अतः अतिक्रमीगण को रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा जेर बहस रिपोर्ट पटवारी हल्का /भू0अ0निरीक्षक को अतिक्रमी को मौके से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा पटवारी हल्का/भू0अ0नि0 को लिखा जावे की अतिक्रमीगण को अतिक्रमण शुदा रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें। आदेश बेदखली पारीत होने पर पृथक से इजराई रजिस्टर में पत्रावली दर्ज की जाकर भौतिक बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर दर्ज करें।

अतिक्रमीगण द्वारा गै0मु0 नाला भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.37 रु का 50 गुणा तावान की कुल राशि 19/- अक्षरे उन्नीस रूपये मात्र बतौर शास्ती पैलन्टी जुर्माना आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को जमा कायमी वसुली तथा बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दर्ज फैसल होकर नम्बर शुमार से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता कार्यवाही संग्रह भण्डार हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 18.09.2017 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।

रजिस्टर व बंध 2017-18 5

रुपये 19

की कायमी की न

31

तहसीलदार
उदयपुरवाटी

राजस्व लेखाकार